प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

विविध दठडिक याचिका. क्रमांक 397/2011

याचिकाकर्ता : संतोष कुमार नांदे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन

-

उपस्थित :—

श्री वी.सी. ओतलवार, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री सतीश गुप्ता, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-

मौखिक आदेश

(दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को पारित)

(1) राज्य के माननीय अधिवक्ता का निवेदन हैं कि वे कोई विवादावा प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समस्त सुसंगत दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध हैं। पक्षकारों की सहमति से प्रकरण का अंतिम रूप से श्रवण किया गया।

2. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक **10/03/2011** को पारित उस आदेश की **शुद्धता एवं वैधता** को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जो कि **अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती** द्वारा **दठिडक पुनरीक्षण क्रमांक 11/08** में पारित किया गया था, जिसके द्वारा **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सक्ती** द्वारा **दठिडक प्रकरण क्रमांक 1412/07** में दिनांक **01/10/2007** को पारित आदेश को, **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते**

हुए याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित करने संबंधी आदेश को, पुष्टि की गई है।

3. एक **तीर्थ बाई**, जिनका **भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–जैजैपुर** में बचत खाता था, ने पुलिस थाना में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक **16/12/2005** को अपने बैंक खाते से **रु. 40,000/-** के आहरण हेतु बैंक जाने पर उसे यह जानकारी हुई कि उसके खाते में **रु. 40,000/-** की कोई शेष राशि नहीं है तथा दिनांक **14/01/2005** को

उसके बैंक खाते से **रु. 1,10,000/-** की राशि आहरित कर ली गई। **तीर्थ बाई** की शिकायत यह है कि वह उस दिन बैंक नहीं गई थी और न ही उसने कोई राशि आहरित की थी, तथा बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उसके खाते से **धोखाधड़ीपूर्वक** उक्त राशि आहरित की गई है। जब पुलिस द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, तब **तीर्थ बाई** ने **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)** के अंतर्गत विवेचना हेतु निर्देश जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश के पश्चात **पुलिस थाना–जैजैपुर** में **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468** के अंतर्गत **किरण कुमार** के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात **किरण कुमार** के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए तथा याचिकाकर्ता को कुछ अन्य अभियोजन साक्षियों के साथ अभियोजन साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिनमें शिकायतकर्ता— **तीर्थ बाई**, **हरीश कुमार चौधरी**, **राधा बाई** एवं **सुभाष कुमार** सम्मिलित थे। उस चरण पर अभियुक्त **किरण कुमार** द्वारा **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319** के अंतर्गत याचिकाकर्ता तथा **हरीश कुमार चौधरी** को न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। **दिनांक 01/10/2007** को पारित आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने **धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता तथा **हरीश कुमार चौधरी** को प्रकरण में अभियुक्त के रूप में इम्पलीड किए जाने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसे निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए, तथा तात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बाद भी उसे किसी भी प्रकार से अन्य अभियुक्त **किरण कुमार** के साथ कथित अपराध कारित करने के लिए संयोक्षित कर लियाI उनका यह भी कहना है कि प्रारंभ से ही याचिकाकर्ता के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि जब यह पाया गया कि **तीर्थ बाई** के खाते से राशि आहरित की गई है, तब याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था तथा **किरण कुमार** को सूचना दिया था और यह सुनिश्चित करने में सहायक था कि **यह राशि तीर्थ बाई के खाते में जमा कराई गई।** उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः

नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका प्रयोग केवल **असाधारण परिस्थितियों** में तथा **ठोस और बाध्यकारी कारणों** के आधार पर ही किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, जो कि साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुआ है, के साक्ष्य का उपयोग उसे स्वयं के विरुद्ध दोषारोपित करने हेतु नहीं किया जा सकता तथा उसके स्वयं के साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई दोषारोपणकारी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि याचिकाकर्ता भी कथित अपराध कारित करने में संलिप्त था, जिससे उसे अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किया जाना न्यायोचित ठहराया जा सके। अपने इस तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने **एम.पी. गंगाधरन बनाम राज्य (एस.आई. पुलिस), ए.आई.आर 1989 क्रि. एल. जे. 2455**, **माइकल मचाडो एवं अन्य बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, ए.आई.आर 2000 एस.सी. 1127**, तथा **मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफीक एवं अन्य, 2007 क्रि. एल. जे. 3198** के निर्णयों का अवलंब लिया।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में अभियोग पत्र अन्य सह-अभियुक्त — **किरण कुमार** — के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात जब विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तब शिकायतकर्ता **तीर्थ बाई** ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि याचिकाकर्ता भी अपराध कारित करने में संलिप्त है तथा उसके साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता, जो कि बैंक का **प्रभारी प्रबंधक** था, उसके खाते से धनराशि के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका में था, क्योंकि उस दिन **तीर्थ बाई बैंक नहीं गई थी**, न तो पासबुक प्रस्तुत की गई थी और न ही पासबुक में कोई समरूप प्रविष्टि थी तथा **आहरण प्रपत्र पर किए गए हस्ताक्षर कूटरचित थे**।यह भी प्रस्तुत किया गया कि **तीर्थ बाई का फोटो तक उपलब्ध नहीं था**, इसके बावजूद इतनी बड़ी राशि के आहरण की अनुमति दी गई, जिससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता, जो बैंक में बैंकिंग कार्यों का प्रभारी था, की संलिप्तता थी। राज्य की ओर से आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि **विचारण के दौरान संकलित भौतिक साक्ष्य** याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने हेतु **पर्याप्त** हैं, क्योंकि **प्रथमदृष्टया मामला** बनता है तथा ऐसा संयोक्षित, **यहाँ तक कि सह-अभियुक्त के आवेदन पर भी**, विधि द्वारा **अनुमेय** है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का प्रथम तर्क कि अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। **रऊफ पटेल एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, 1996 क्रि. एल. जे. 1471 (आंध्र प्रदेश)**; **राम किशन यादव एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2008 क्रि. एल. जे. (एनओसी) 32 (म.प्र.)**; **रमेशचंद्र गोकलाल शर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2008 क्रि. एल.**

जे. 903; **विठलभाई डी. पांड्या बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2008 क्रि. एल. जे. 1842** के प्रकरणों में निरंतर रूप से यह अधिनिर्धरित गया है कि **ऐसा कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है**। अतः प्रथम तर्क असफल होती है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि याचिकाकर्ता एक साक्षी था तथा घटना के संबंध में बयान देने वाला साक्षी होने के बावजूद, उसे अभियोजन साक्षी के रूप में दिए गए उसके ही साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के स्वयं के साक्ष्य के अतिरिक्त, **धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग द्वारा याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने हेतु कोई अन्य भौतिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन तथा अन्य साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन साक्षी के रूप में दिए गए याचिकाकर्ता के साक्ष्य का उपयोग उसे दोषारोपित करने एवं अभियुक्त के रूप में संयोक्षित करने हेतु किया गया है। इस तर्क में भी कोई बल नहीं है कि याचिकाकर्ता के अभियोजन साक्षी के रूप में दिए गए उसके स्वयं के साक्ष्य के अतिरिक्त, विचारण के दौरान संकलित कोई अन्य भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने को न्यायोचित ठहराता हो। शिकायतकर्ता **तीर्थ बाई**, जिन्हें **अ.स..-1** के रूप में परीक्षित किया गया है, के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उन्होंने यह कथन किया है कि जब वह याचिकाकर्ता के पास गईं, तब याचिकाकर्ता ने उन्हें यह बताया कि उन्होंने पहले ही राशि आहरित कर ली है और जब उन्होंने राशि की मांग की, तो याचिकाकर्ता नाराज़ हो गया तथा इस बात पर ज़ोर देने लगा कि राशि उसी ने स्वयं आहरित की है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि संबंधित विवादित आहरण के संबंध में पासबुक में कोई प्रविष्टि नहीं है। अभियोजन द्वारा **आहरण प्रपत्र (प्रदर्श-पी)** भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता **तीर्थ बाई** ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि उस पर उनका अंगूठा-निशान नहीं है तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपने खाते से कोई राशि आहरित नहीं की। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उन्होंने **रु. 1,10,000/-** की राशि आहरित नहीं की है तथा बैंक के प्रबंधक एवं कैशियर द्वारा उनके खाते से **धोखाधड़ीपूर्वक** राशि आहरित की गई है। अन्य साक्षी **हरीश कुमार चौधरी (पी.डब्ल्यू.-2)** ने यह बयान दिया है कि संबंधित प्रपत्र एवं टोकन पासिंग हेतु याचिकाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा आगे उसके काउंटर पर भेजा गया, जिसके पश्चात टोकन एवं पासबुक का मिलान करने के बाद राशि जारी की गई। अतः **तीर्थ बाई (पी.डब्ल्यू.-1)** एवं **हरीश कुमार चौधरी (पी.डब्ल्यू.-2)** के कथनों से यह साक्ष्य सामने आया है कि आहरण प्रपत्र याचिकाकर्ता द्वारा पास किया गया, पासबुक में कोई प्रविष्टि नहीं थी,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तीर्थ बाई न तो बैंक गई थीं और न ही उन्होंने कोई आहरण प्रपत्र प्रस्तुत किया था तथा आहरण प्रपत्र पर उनके अंगूठा-निशान कूटरचित थे। उपर्युक्त साक्ष्य विश्वसनीय हैं अथवा नहीं, यह विचारण न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्य के संकलन एवं उनके परीक्षण पर निर्भर करेगा। तथापि, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन साक्षियों की गवाही में, याचिकाकर्ता के अतिरिक्त, कोई भौतिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था, जो याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने को न्यायोचित ठहराता हो। उपर्युक्त साक्ष्य एवं संबद्ध परिस्थितियाँ, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था, तथा शिकायतकर्ता **तीर्थ बाई** का यह आरोप कि वह कभी बैंक नहीं गई, आहरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, और यह परिस्थिति कि पासबुक में कोई समरूप प्रविष्टि नहीं है, **याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने हेतु पर्याप्त हैं**।

8. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह अन्य तर्क कि याचिकाकर्ता का आचरण यह दर्शाता है कि वह अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं था, इस चरण पर अभिलेख पर आए साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने हेतु विचारणीय नहीं है, जैसा कि ऊपर अवलोकित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त तर्कों को पुष्ट करने हेतु कुछ दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाने संबंधी एक आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों की सहायता से यह प्रतिपादित किया गया है कि जब शिकायतकर्ता — **तीर्थ बाई** — ने शिकायत दर्ज कराई, तब याचिकाकर्ता अन्य सह-अभियुक्त — **किरण कुमार** — से राशि वापस शिकायतकर्ता के खाते में जमा कराए जाने में सहायक था तथा वही याचिकाकर्ता था, जिसने विभागीय स्तर पर मामले की जांच कराए जाने तथा पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने में भूमिका निभाई। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार, याचिकाकर्ता का यह आचरण दर्शाता है कि वह अपराध कारित करने में कहीं भी संलिप्त नहीं था तथा अब तक अभिलेख पर आए साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह सत्य है कि एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता द्वारा ही पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी, जो कि अभिलेख पर संलग्न **अनुलग्नक -A/6** के रूप में प्रस्तुत एफ.आई.आर. की प्रति से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता के इस प्रकार के आचरण से, अभिलेख पर आई **तीर्थ बाई** की गवाही की सत्यता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होना चाहिए या नहीं, यह साक्ष्य के मूल्यांकन के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार के आचरण को प्रस्तुत करना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा अपने बचाव के रूप में, अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रहार कर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने हेतु किया जा सकता है। तथापि, विचारण के दौरान अब तक संकलित साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने के इस चरण पर, आचरण से संबंधित बचाव पर विचार

नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करने तथा **तीर्थ बाई** एवं अन्य साक्षियों की गवाही को अविश्वसनीय ठहराने के समान होगा। एफ.आई.आर. का दर्ज किया जाना वास्तविक और सद्भावनापूर्ण कार्य था अथवा केवल धोखाधड़ी उजागर होने तथा शिकायतकर्ता द्वारा जांच की मांग किए जाने के पश्चात याचिकाकर्ता को निर्दोष दिखाने के उद्देश्य से किया गया था — यह एक ऐसा विषय है, जिस पर विचारण के दौरान साक्ष्य के मूल्यांकन में विचार किया जाएगा, किंतु केवल इस आधार पर याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किए जाने का आदेश न तो अवैध कहा जा सकता है और न ही विधि प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान माना जा सकता है।

10. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का अंतिम तर्क कि **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319** के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग लापरवाहीपूर्वक, बिना समुचित मनन के तथा एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में किया गया है, इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर शिकायतकर्ता — **तीर्थ बाई (अ.स.-1)** — के साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात।याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में इम्पलीड किए जाने संबंधी विवादित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस तर्क पर विचार किया कि **तीर्थ बाई** एवं **हरीश चौधरी** के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता भी अपराध के संपादन में संलिप्त है तथा **धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों पर विचार करते हुए भी संतुष्टि प्राप्त की है। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने **माइकल मचाडो (उपर्युक्त)** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। उस प्रकरण के विशिष्ट तथ्य यह थे कि कुल **49 साक्षियों** का परीक्षण हो चुका था और उसके पश्चात **धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को इम्पलीड किए जाने का आदेश पारित किया गया था। यह पाया गया कि जिन **49 साक्षियों** का परीक्षण किया गया था, उनमें से किसी ने भी संयोक्षित किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा था। यह भी पाया गया कि बड़ी संख्या में साक्षियों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हो चुका था और विचारण के अंतिम चरण में मजिस्ट्रेट ने केवल इस कारण से पुनः नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की कि अगले तीन साक्षियों ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ बयान दिया था, जिन्हें **धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता** की सहायता से संयोक्षित किया जाना चाहा गया था। उन तीन साक्षियों के बयानों की जांच करने पर यह अवधारित किया गया कि वे कथन केवल कुछ संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु संदेह मात्र इस निष्कर्ष हेतु पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में दोषसिद्धि की कोई युक्तिसंगत संभावना है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी कि पहले से संकलित समस्त विशाल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्ष्य को निरर्थक किया जाए तथा पहले से परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित **49 साक्षियों** का पुनः परीक्षण कराया जाए। उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि-सिद्धांत यह है कि **धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता** को लागू करने की मूलभूत आवश्यकता यह है कि विचारण अथवा जांच के दौरान संकलित साक्ष्य से न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई अन्य व्यक्ति, जिसे अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया है, ने ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए उसे पहले से नामित अभियुक्तों के साथ एक साथ विचारित किया जा सकता है; केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय को साक्ष्य से किसी व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में कुछ संदेह उत्पन्न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि न्यायालय को पहले से संकलित साक्ष्य के आधार पर दो पहलुओं के संबंध में युक्तिसंगत संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए — पहला, कि उस अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है; और दूसरा, कि ऐसे अपराध के लिए उस व्यक्ति का पहले से नामित अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। यह भी अवधारित किया गया कि न्यायालय को केवल एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग केवल **आपराधिक न्याय की प्राप्ति** के लिए किया जाना चाहिए। न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए प्रकरण की समग्र स्थिति पर दृष्टि रखना आवश्यक है, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि विचारण किस चरण तक आगे बढ़ चुका है, अब तक कितना साक्ष्य संकलित किया गया है, तथा ऐसे साक्ष्य को संकलित करने में न्यायालय ने कितना समय व्यय किया है। **दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी, 1983 (1) एस.सी.सी. 1** के प्रकरण में दिए गए अपने पूर्व निर्णय का संदर्भ देते हुए यह बल दिया गया कि यह एक **असाधारण शक्ति** है, जिसे न्यायालय को अत्यंत विरल परिस्थितियों में तथा केवल तभी प्रयोग करना चाहिए, जब अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण विद्यमान हों, और न्यायालय को **धारा 319(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता** की प्रथम उपधारा द्वारा आरोपित अन्य प्रतिबंधों पर भी स्वयं को संबोधित करना चाहिए, जिसके अनुसार नव-संयोजित गए व्यक्तियों के संबंध में कार्यवाही नवसिरे से प्रारंभ की जाएगी तथा साक्षियों का पुनः परीक्षण किया जाएगा। यदि पहले से परीक्षित साक्षियों की संख्या काफी अधिक हो, तो न्यायालय को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयोग से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य पहले से किए गए समस्त परिश्रम को निरर्थक ठहराने योग्य है या नहीं। जब तक न्यायालय को यह आशा न हो कि नव-संयोक्षित किए गए अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण के अंततः दोषसिद्धि में परिणत होने की युक्तिसंगत संभावना है, तब तक उसे इस प्रकार की कार्यवाही अपनाने से विरत रहना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत अन्य निर्णय **मोहम्मद शफी (उपर्युक्त)** में भी उपर्युक्त विधिक स्थिति की पुनरावृत्ति की गई है, जिसमें **दिल्ली नगर निगम (उपर्युक्त)** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया गया है। यह निर्णय दिया गया कि जब न्यायालय **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319** के अंतर्गत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तब उसे इस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक है कि समन किए गए अभियुक्त के दोषसिद्ध होने की **संभावना विद्यमान है**।

11. यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कसौटी को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू किया जाए, तो विचारण का चरण, परीक्षित साक्षियों की संख्या, आपराधिक न्याय के हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अब तक संकलित साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता की अपराध कारित करने में संलिप्तता के संबंध में युक्तिसंगत संदेह को ध्यान में रखते हुए, और अभियोजन द्वारा अब तक संकलित साक्ष्य, विशेष रूप से **तीर्थ बाई (पी.डब्ल्यू.-1)** एवं **हरीश कुमार (पी.डब्ल्यू.-2)** के साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात, यह मानना कठिन है कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में संयोक्षित किया जाना तथा उसे विचारण के लिए प्रस्तुत किया जाना **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319** के अंतर्गत पूर्णतः अप्रमाणिक या विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

12. परिणामस्वरूप, याचिका निराधार पाई जाती है और उसे खारिज किए जाने योग्य मानते हुए, **तदनुसार खारिज किया जाता है**। प्रकरण से विदा लेने से पूर्व यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की कथित अपराध में संलिप्तता के संबंध में व्ययन किए गए विचार केवल विचारण के दौरान अब तक उपलब्ध एवं संकलित सामग्री पर आधारित हैं और वह भी **केवल इस सीमित उद्देश्य हेतु** कि यह परखा जा सके कि **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319** के अंतर्गत याचिकाकर्ता को संयोक्षित किया जाना अनुमेय है या नहीं; इस न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आए साक्ष्य की **विश्वसनीयता अथवा सत्यता** पर कोई विचार व्यय नहीं की गई है।अभियोजन का अन्य साक्ष्य अभी आना शेष है, जिसके पश्चात **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313** के अंतर्गत अभियुक्त का कथन एवं यदि कोई हो तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्ष्य लिया जाएगा। विचारण न्यायालय प्रकरण का निर्णय **विचारण की समाप्ति पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर**, अपने स्वतंत्र गुण-दोष के आधार पर करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/—

मानिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Aastha Verma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur